निर्णय की तिथिः–23.07.2026
उपस्थितः–दीपक कुमार यादव,
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
हिलसा, नालंदा।

न्यायालयः–अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, हिलसा, नालंदा।

सत्र विचारण संख्या 160/2020

रजि. संख्या 91/2020

बिहार राज्य मार्फत् सूचक सोनु कुमार यादव, साकिन –तेल्हाड़ा धरानपर, थाना–तेल्हाड़ा, जिला नालंदा.

. . . . .अभियोजन पक्ष,

बनाम

1. तरूण कुमार यादव, पिता स्व0 सुरेश यादव, उम्र 45 वर्ष,
2. लुखी देवी, पति–तरूण कुमार, उम्र–35 वर्ष

दोनों साकिन तेल्हाड़ा धरानपर, थाना–तेल्हाड़ा, जिला नालंदा,

. . . . अभियुक्तगण।

बचाव पक्ष के तरफ सेः– श्री समरेन्द्र कुमार विश्वास, विद्वान अधिवक्ता,
बिहार राज्य के ओर सेः–श्री बृजनंदन प्रसाद, विद्वान अपर लोक अभियोजक,
निर्णय की तिथिः–23.07.2026
उपस्थितः–दीपक कुमार यादव,
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
हिलसा, नालंदा।

23/7/26

COURT OF A.D.J. IIIrd Civil Court Hilsa (Nalanda)

प्राथमिकी	: तेल्हाड़ा, थाना कांड सं0 – 112/2019, दिनांक 04.09.2019, अंतर्गत धारा– 341, 323, 307, 354, 379, 504/34 भा0द0वि0
आरोप पत्र	: 125/2019, दिनांक–30.10.2019, अंतर्गत धारा 341, 323, 307, 447, 354, 379, 504/34 भा0द0वि0।
संज्ञान दिनांक	: 07.11.2019, अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 307, 504/34 भा0द0वि
सत्रा सुपुर्द	: दिनांक–16.03.2020
थाना	: तेल्हाड़ा
जिला	: नालन्दा,
आरोप गठन	: अन्तर्गत धारा–341, 323, 324, 307, 504/34 भा0द0वि0।

निर्णय

1. उपरोक्त नामांकित दोनों अभियुक्तों पर धारा– 341, 323, 324, 307, 504/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप गठित कर विचारित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सूचक सोनु कुमार यादव, पिता–स्व0 सुरेश यादव दिनांक 0.09.2019 को समय 08:00 बजे रात में अपने घर में था उसी समय उसका बड़ा भाई तरूण कुमार यादव आकर मां लक्ष्मीनिया देवी से पूछा कि खाना खा लिया इसी बात पर सूचक बोला कि आप अपने यहां नहीं रखते है तो पूछते क्यों है? इसपर तरूण कुमार यादव सूचक को गाली–गलौज करने लगा। सूचक के मना करने पर उसने अपने हाथ में लिये बांस के टोना से सूचक के माथा पर मार दिये और ताबड़तोड़ उसके शरीर पर अन्य

जगह पर मारपीट किया जिससे सूचक का माथा फट गया और खून बहने लगा। जब सूचक की पत्नी आरती देवी उसे बचाने आयी तो उसे भी बांस के टोना से मारा जिससे उसका माथा फट गया और खून बहने लगा तथा तरूण कुमार की पत्नी लुखी देवी भी सूचक की पत्नी से मारपीट की थी और बाल पकड़कर पटक दिया था। मारपीट के कम में सूचक की बेटी के गले से दुर्गा माता का लॉकेट छीन लिया।

3. सूचक के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर तेल्हाड़ा, थाना काण्ड सं0 112/19, दिनांक 04.09.19, अन्तर्गत धारा 341, 323, 307, 354, 379, 504/34 भा0द0वि0, में दर्ज कर अनुसंधान जारी किया गया। अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र सं0 125/19, दिनांक 30.10.19 को अन्तर्गत धारा–341, 323, 307, 447, 354, 379, 504/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त तरूण कुमार यादव एवं लुखी देवी के विरुद्ध काण्ड सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया। तत्पश्चात् संज्ञानोपरान्त अभिलेख विचारण हेतु सत्र न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया, जो स्थानान्तरण के कम में इस न्यायालय को दिनांक 22.07.2024 को प्राप्त हुआ।

4. उपरोक्त नामित अभियुक्तों की न्यायालय में उपस्थिति के पश्चात् दिनांक 30.11.2023 को उनके विरुद्ध धारा 341, 323, 324, 307, 504/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन कर अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण का दावा किया।

5. अभियुक्तों के द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0स0 मे भी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इन्कार किया गया तथा अपने आपको को निर्दोष बताया गया है।

23/7/26

COURT OF A.D.J. III rd
Civil Court Hilsa (Nalanda)

6. इस वाद में विचारण का प्रमुख बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन ने अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों को संदेह से परे साबित करने करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

7. अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया गया। अभियोजन की ओर से कुल 06 अभियोजन साक्षी कमशः अभियोजन साक्षी संख्या 01 लक्ष्मीनिया देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 02 सोनू कुमार यादव, अभियोजन साक्षी संख्या 03 बिन्देश्वर प्रसाद, अभियोजन साक्षी संख्या 04 अखिलेश यादव उर्फ कारु यादव, अभियोजन साक्षी संख्या 05 पु.अ.नि. रामएकबाल यादव एवं अभियोजन साक्षी संख्या 06 डॉ. प्रभात रंजन कुमार का साक्ष्य कराया गया है। इसके अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श P-1 आरोप पत्र, प्रदर्श P-2 के रूप में औपचारिक प्राथमिकी एवं प्रदर्श P-3 के रूप में जख्म प्रतिवेदन को प्रदर्श कराया गया है।

8. दोनों पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि इस काण्ड के सूचक सोनू कुमार यादव है तथा इस काण्ड के अभियुक्त उसके बड़े भाई तरूण कुमार यादव एवं भाभी लुखी देवी है। सूचक सोनू कुमार यादव (साक्षी संख्या 02) ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण के दौरान घटना

का समर्थन किया है, परंतु अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान उसने कथन किया है कि घटना के समय बरसात का समय था तथा रात्रि का समय था, फिसलकर गिर जाने के कारण वह और उसकी पत्नी जख्मी हो गये थे। चूँकि घटना के समय उसके बड़े भाई और भाभी माँ के साथ मौजूद थे तो कुछ जबानी नोक–झोक के कारण नराज होकर यह केस कर दिया था। थाना में जो आवेदन दिया गया था, उसे साक्षी को पढ़कर सुनाया नहीं गया था, केवल अँगुठे का निशान ले लिया गया था। अभियोजन साक्षी संख्या 01, लक्ष्मीनिया देवी जो कि सूचक एवं अभियुक्त तरूण की माँ है, उसने भी अपने मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन किया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान इसने कथन किया है कि घटना के बारे में पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। सोनू और आरती गिर गये थे, जिससे चोट लग गई थी। अब दोनों में मेल–मिलाप हो गया है। घटना के समय वह खेत पर थी, वह घटना होते नहीं देखी थी। अभियोजन साक्षी संख्या 03 एवं अभियोजन साक्षी संख्या 04 एक अनुश्रुत साक्षी है। उन्होंने स्वयं घटना अपने आँखों से नहीं देखी है। अतः उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित है, न ही सूचक और न ही जख्मी और न ही स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा घटना का समर्थन किया गया है। अतः अभियोजन साक्षी संख्या 05 (अनुसंधानकर्ता) एवं अभियोजन साक्षी संख्या 06 (चिकित्सक साक्षी) के साक्ष्यों का मुल्यांकन करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

9. दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के उपरान्त तथा केस के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रही है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने का हकदार हैं। अतः उपरोक्त के आलोक में निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

10. अभियुक्त 1. तरूण कुमार यादव 2. लुखी देवी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 307, 504/34 भा0द0वि0 से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्त एवं उसके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय लिपिक अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

Deepak K Yadav

(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा, नालन्दा
दि0 23.07.2026

COURT OF A.D.J. III Civil Court Hilsa (Nalanda)

लेखापित संशोधित एवं उदघोषित

Deepak K Yadav

(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा, नालन्दा
दि0 23.07.2026

COURT OF A.D.J. III Civil Court Hilsa (Nalanda)